

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।

कमांक :- शो./2021/31

दिनांक:- 08.07.2021

:: कार्यालय आदेश::

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1)न्याय/2021/ जयपुर दिनांक 26.05.2021 द्वारा जोधपुर जिला में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय बालेसर व न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कमश: बाप, भोपालगढ व लोहावट में नवसृजित कर स्थापित किये गये है। राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक Gen./II/09/21/1264 date 4-6-2021 व Gen./II/09/21/1265 date 4-6-2021 तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के पत्रांक स्थापना/2021/1091 दिनांक 05.06.2021 एवं स्थापना/2021/1092 दिनांक 05.06.2021 से इस कार्यालय को पृष्ठांकित हुई है। उक्त नवसृजित व स्थापित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार के परिनिश्चयन एवं इस परिनिश्चयन के परिणामस्वरूप पूर्व से स्थापित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार में होने वाले परिणामिक संशोधन के फलस्वरूप, मैं अनिता सिंदल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के अनुमोदन के पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवसृजित न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार का परिनिश्चयन एवं पूर्व से स्थापित उक्त दाण्डिक न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार, इस संबध में इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेशों को अतिलिखित करते हुए निम्न प्रकार निर्धारित करती हूँ।

जोधपुर मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला।	01. पुलिस थाना, खेडापा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण। 02. पुलिस थाना खेडापा, ओसियां व मतोडा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवकारी से संबंधित सभी प्रकरण। 03. पुलिस थाना ओसियां व मतोडा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले भा0दं0सं0 के अध्याय 18 के अन्तर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित	

जी.शक्ति
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)


	<p>समस्त प्रकरण यथा धारा 467, 468, 477ए भा0दं0सं0 वगैरह एवं धारा 420 भा0दं0सं0 के प्रकरण।</p> <p>04. महिला पुलिस थाना जोधपुर जिला में दर्ज/पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित महिला उत्पीडन के प्रकरण।</p> <p>05. पुलिस थाना खेडापा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>06. विशिष्ट अधिनियम—</p> <p>अ. खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013</p> <p>ब. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908</p> <p>स. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923</p> <p>द. औषधि द्रव्य एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940</p> <p>य. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948</p> <p>र. पीटा एक्ट 1956</p> <p>ल. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</p>	
--	--	--

फलोदी मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, फलोदी।	01. पुलिस थाना फलोदी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर जिला को दिया गया है।)	
		02. पुलिस थाना फलोदी, बाप व लोहावट के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)


		<p>आबकारी के सभी प्रकरण।</p> <p>03. पुलिस थाना बाप व लोहावट के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले भा0दं0सं0 के अध्याय 18 के अन्तर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण यथा धारा 467, 468, 477ए भा0दं0सं0 वगैरह एवं धारा 420 भा0दं0सं0 के प्रकरण।</p> <p>04. पुलिस थाना, फलोदी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
2	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, फलोदी।	<p>01. पुलिस थाना भोजासर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर जिला को दिया गया है।)</p> <p>02. पुलिस थाना भोजासर, चाखू व जांबा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आबकारी से संबंधित सभी प्रकरण।</p> <p>03. पुलिस थाना, चाखू व पुलिस थाना जांबा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले भा0दं0सं0 के अध्याय 18 के अन्तर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण यथा धारा 467, 468, 477ए भा0दं0सं0 वगैरह एवं धारा 420 भा0दं0सं0 के प्रकरण।</p> <p>04. पुलिस थाना, भोजासर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर जिला (राजस्थान)

3	न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी।	<p>01. पुलिस थाना, चाखू व जांबा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 फलोदी को दिया गया है।)</p> <p>02. पुलिस थाना, चाखू व जांबा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>	
---	---------------------------	---	--

पीपाड मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाडशहर।	<p>01. पुलिस थाना पीपाडशहर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर जिला को दिया गया है।)</p> <p>02. पुलिस थाना पीपाडशहर, बोरूदा, आसोप व भोपालगढ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आबकारी के सभी प्रकरण।</p> <p>03. पुलिस थाना बोरूदा, आसोप व भोपालगढ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले भा0दं0सं0 के अध्याय 18 के अन्तर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण यथा धारा</p>	


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर जिला (राजस्थान)

		467, 468, 477ए भा0द0सं0 वगैरह एवं धारा 420 भा0द0सं0 के प्रकरण। 4. पुलिस थाना, पीपाडशहर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाडशहर।	01. पुलिस थाना, बोरुंदा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाडशहर को दिया गया है।) 02. पुलिस थाना, बोरुंदा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

बिलाडा मुख्यालय


क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलाडा।	01. पुलिस थाना बिलाडा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर जिला को दिया गया है।) 02. पुलिस थाना बिलाडा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आबकारी के सभी प्रकरण।	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)

		3. पुलिस थाना, बिलाडा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।	
--	--	---	--

बालेसर मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर। (नवसृजित न्यायालय)	01. पुलिस थाना बालेसर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर जिला को दिया गया है।) 02. पुलिस थाना बालेसर, देचू व शेरगढ़ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आबकारी के सभी प्रकरण। 03. पुलिस थाना देचू व शेरगढ़ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले भा0दं0सं0 के अध्याय 18 के अन्तर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण यथा धारा 467, 468, 477ए भा0दं0सं0 वगैरह एवं धारा 420 भा0दं0सं0 के प्रकरण। 04. पुलिस थाना, बालेसर के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।	
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर।	01. पुलिस थाना, देचू व शेरगढ़ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी	


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर जिला (राजस्थान)

		<p>आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर को दिया गया है।)</p> <p>02. पुलिस थाना, देचू व शोरगढ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।</p>	
--	--	--	--

ओसियां मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	न्यायिक मजिस्ट्रेट ओसियां।	<p>01. पुलिस थाना, ओसियां व मतोड़ा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं ग्राम न्यायालय, ओसियां को दिया गया है।)</p> <p>02. पुलिस थाना, ओसियां व मतोड़ा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।</p>	
2	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय ओसियां	01. पुलिस थाना ओसियां व मतोड़ा के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी आपराधिक प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार विधि द्वारा ग्राम न्यायालय, ओसियां को प्रदत्त किया हुआ है।	

बाप मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप ।	01. पुलिस थाना, बाप के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)

(नवसृजित न्यायालय)	होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 फलोदी को दिया गया है।)	
	02. पुलिस थाना, बाप के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।	

लोहावट मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	न्यायिक मजिस्ट्रेट लोहावट। (नवसृजित न्यायालय)	01. पुलिस थाना, लोहावट के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 फलोदी को दिया गया है।)	
		02. पुलिस थाना, लोहावट के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।	

भोपालगढ मुख्यालय

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
1	न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपालगढ। (नवसृजित न्यायालय)	01. पुलिस थाना, भोपालगढ व आसोप के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण, (सिवाय उन प्रकरणों के जिनका क्षेत्राधिकार मुख्य	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)

		<p>न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाडशहर को दिया गया है।)</p> <p>02. पुलिस थाना, भोपालगढ के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p>
--	--	---

श्रीमान्
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु निम्न को प्रेषित है।

क्रमांक :- सामान्य रजि./

दिनांक:-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जरिये श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
02. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
03. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी संख्या 01 व 02/ पीपाडशहर/बिलाडा/बालेसर (नवसृजित)।
04. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला/ ओसियां/ फलोदी/ पीपाडशहर/ बालेसर/ भोपालगढ (नवसृजित)/बाप(नवसृजित)/लोहावट(नवसृजित)/ग्राम न्यायालय ओसियां।
05. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जोधपुर।
06. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण। (सभी थानाधिकारी को सूचित करें।)
07. महिला पुलिस थाना जोधपुर ग्रामीण।
08. श्रीमान् सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर।
09. बार एसोसिएशन, पीपाडशहर/फलोदी/बिलाडा/बालेसर/ओसियां/ जोधपुर जिला/भोपालगढ/बाप/लोहावट।
10. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय परिसर, जोधपुर जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

श्रीमान्
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला (राजस्थान)